न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(57)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 338/पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.09.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, प्रकरण क्रमांक 455/2014-15/अपील.

---

1. रमाबाई पति सीताराम जाति पुरब्या
2. अशोक पिता सीताराम जाति पुरब्या
3. मुकेश पिता सीताराम जाति पुरब्या
4. दिनेश पिता सीताराम जाति पुरब्या

सभी निवासी ग्राम नालछा तह. व जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. मूलचंद पिता राजाराम जाति पुरब्या
2. कमल पिता शंकरलाल जाति पुरब्या
3. चंदाबाई पति कमल जाति पुरब्या
4. संदीप पिता कमल जाति पुरब्या
5. दिलीप पिता सेवाराम जाति पुरब्या
6. प्रदीप पिता सेवाराम जाति पुरब्या
7. अंतिम पिता सेवाराम जाति पुरब्या
8. मधुकांता पति सेवाराम जाति पुरब्या

सभी निवासी ग्राम नालछा तह. व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री टी.टी. गुप्ता एवं श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र.1 से 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 08.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 के द्वारा ग्राम नालछा तहसील व जिला धार स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 701/2 रकबा 2.467 हैक्टेयर जिस पर सीताराम, सेवाराम व मूलचंद का बराबर 1/3 अंश था, को वडील सीताराम व सेवाराम की जानकारी के बगैर कमल, चंदाबाई, संदीप को एकल रूप से विक्रय कर दी गई, जिसका हक अनावेदक क्रमांक 1 को नहीं था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार, जिला धार द्वारा नामांतरण पंजी 34 दर्ज कर आदेश दिनांक 15.09.2000 में अनावेदक क्रमांक 4 के नाम आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जिला धार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 08.09.2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समक्ष सब कागज प्रस्तुत किये गये थे, अपर आयुक्त द्वारा रूटीन वेय में छल को देखने का प्रयास तक नहीं किया और सुधार नहीं किया, ताकि अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकार का छल ना करें अन्याय ना करें, जो अधिकारी नामकर्ता अधिकारी खातेदार को बुलाये ही नहीं नोटिस ही नहीं दिया और उसकी जायदादपर अन्य का नाम चढा दें, इसके बावजूद समस्त रिकार्ड ना बुलाते हुए अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 08.09.2015 द्वारा स्वयं का माईन्ड अप्लाय किये बिना और आवेदकगण के कागजात जो अपील के साथ पेश हुए थे, उन्हें देखे बिना तथ्य जो उनके सामने रखे गये थे और उसके समर्थन में कागजात थे, कागजात देखे बिना अपील नामंजूर कर दी गई, जो कि विधि की गंभीर भूल हैं।

(2) ऑर्डर 7 रूल 7 व धारा 107 सीपीसी के प्रावधान मुजब सभी अधिकार इस न्यायालय को हैं, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए व उसमें आये छल व कपट को देखते हुए व खातेदार का उल्लेख नामांतरण पंजी क्रमांक 34 में छलयुक्त वडील सीताराम के होते हुए व अन्य खातेदार के होते हुए नहीं किया गया, यह छल है। इस ओर दोनों अपीलीय अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनके द्वारा पारित आदेश जिसमें विधि की गंभीर भूल की गई है, निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(3) तहसील न्यायालय की कार्यवाही संहिता की धारा 109, 110 मुजब जिस रोज पंजी क्रमांक 34 में आदेश हुआ है, उस समय हमारे वडील सीताराम मौजूद थे व अन्य खातेदार भी मौजूद थे। उन्हें व्यक्तिगत सूचना नहीं थी। ऐसी स्थिति में उक्त धारा 109, 110 मुजब जो नियम 27 मेडेटरी है, उस मुजब सीताराम को सूचना नहीं दी गई, ना अन्य आवेदकगण को दी गई। अत: सारी कार्यवाही विचाराधीन रहित है, जहां अवैधता है बिना सूचना के है, उनके विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है, कितना भी लंबा समय क्यों न हो, उस पर नहीं जाकर अपील सुनवाई का मौका देना चाहिए था, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

(4) अवधि विधान की धारा 5 के संबंध में जो उल्लेख किया है, वह विधिक नहीं है, हर मामले की परिस्थिति अलग-अलग है। इस मामले में स्पष्टत: छल कपट आया है, जो न्याय उदाहरण आवेदकगण के विरूद्ध लगाये गये हैं, पैरा 5 व 6 में वे सही नहीं है, वे इस प्रकरण में लागू होते नहीं हैं। आवेदकगण ने जो न्याय उदाहरण आदेश के पैरा 4 में दिये हैं वे लागू होते हैं, उन्हें लागूकर अपील अंपील समय सीमा में ठहराई जाना अर्ज है। मूल न्यायालय की अवैधता को देखते हुए खातेदार को बिना सूचना के तथ्य ज्ञान में आने के बाद समयसीमा का मुद्दा गौण हो जाता है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 6 से 8 तक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अनावेदक क्र. 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय व दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजी क्र. 33 पर जो नामांतरण हुआ, उसके रकबे में कांट-छांट है। सर्वे नं. 701 सीताराम, सेवाराम तथा मूलचंद तीनों के नाम था। आवेदक पक्ष ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्ष 2000 की बी-1 प्रस्तुत की है, फिर केवल मूलचंद कैसे विक्रय कर सकता है? तहसील न्यायालय में अन्य सहखातेदारों को सुना भी नहीं गया। ऐसी स्थिति में जबकि तहसील न्यायालय में आवेदक को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया, अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी तथा अपर आयुक्त ने समयसीमा पर अपीलों को निरस्त करने में त्रुटि की है। अत: तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत प्रकरण का निराकरण करे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर